

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

जेल गार्डन रोड, इन्दिरा नगर, रायबरेली पिन-229001

संख्या /सम्प0अनु0/19-20/राविप्रा/

दिनांक

आवंटन-पत्र

सेवा में,

.....

आवंटी की फोटो	आवंटी की पति/पत्नी की फोटो
---------------	----------------------------

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत बरखापुर/देवानन्दपुर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा उपरोक्त भवन के आवंटन हेतु किये गये आवेदन पंजीकरण संख्या....., डूडा सर्वे कोड सं० के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-बरखापुर/देवानन्दपुर में दुर्बल आय वर्ग श्रेणी भवन संख्या आवंटित किया गया है।

1. भवन के मूल्य की भुगतान प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

(क)	अनुमानित लागत	रु०
(ख)	घटायें - भारत सरकार द्वारा वहन की जान वाली	रु०
(ग)	घटायें - राज्य सरकार द्वारा वहन की जान वाली	रु०
(घ)	आवंटी द्वारा कुल देय मूल्य	रु०
(ङ)	आवंटी द्वारा देय जी.एस.टी. 8 प्रतिशत	रु०
(च)	आवंटी द्वारा कुल देय धनराशि जी.एस.टी. सहित	रु०
(छ)	घटायें - आवंटी द्वारा जमा धनराशि	रु०
(ज)	आवंटी द्वारा देय अवशेष धनराशि	रु०

2. आप द्वारा अवशेष धनराशि रु० तथा प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष की 60 मासिक किश्तों में रु० प्रति किश्त प्रतिमाह के अनुसार जमा की जायेगी। प्रथम किश्त2020 में देय होगी। किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी।
3. किश्तें अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती हैं। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ-साथ 2 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में जमा करने की अन्तिम तिथि मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी।
4. यदि आवंटी द्वारा लगातार तीन मासिक किश्तें जमा नहीं की जाती हैं तो उक्त आवंटित भवन का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
5. निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किए जाने के पश्चात् निर्धारित मूल्य के नान जुडिशियल पेपर तथा रु०-50/- का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साईज के लिए 4 (चार) फोटो जमा कराकर शासन के निर्देशानुसार पट्टा विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।

प्र० सचिव
 रायबरेली विकास प्राधिकरण